

परियोजना का नाम :- जनपद बागेश्वर में 33/11केवी सबस्टेशन बागेश्वर से 33/11केवी सबस्टेशन कपकोट तक 33केवी लाईन का निर्माण कार्य।

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

ह0/-

(प्रयोक्ता एजेन्सी)


वन क्षेत्राधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र
जनपद बागेश्वर


वन क्षेत्राधिकारी
बागेश्वर

ह0/-


प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन क्षेत्र
जनपद बागेश्वर